

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या 118 दिनांक 1.7.2009 में निर्धारित अर्हता/शर्तों के अधीन एवं शासन के पत्र संख्या 312 दिनांक 31 दिसम्बर,2012 के अनुसार खण्ड विकास अधिकारियों से प्राप्त मॉग/आवश्यकता के क्रम में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के सफल संचालन हेतु जिला मुख्यालय पर कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं कम्प्यूटर आपरेटर एवं विकास खण्ड स्तर पर उप कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, ग्राम रोजगार सेवक की निम्न विवरण के अनुसार आवश्यकता है, जिनकी तैनाती मस्टररोल/मानदेय/दैनिक मजदूरी के आधार पर की जानी है -

क्र० सं०	पद का नाम	पद की सं०	योग्यता	अनुभव एवं अन्य	प्रतिदिन दिये जाने वाले मानदेय की धनराशि	आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	कम्प्यूटर प्रोग्रामर जिला कार्यालय हेतु	01 (एक)	एम०सी०ए० उपाधि प्राप्त	न्यूनतम 01 वर्ष	600-00	30.04.2017
2	कम्प्यूटर आपरेटर जिला कार्यालय हेतु	01 (एक)	कम्प्यूटर डिप्लोमाधारी एवं स्नातक उपाधि प्राप्त। हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट टंकण गति।	न्यूनतम 06 माह	400-00	- तदैव -
3	उप कार्यक्रम अधिकारी विकास खण्ड नारसन हेतु	01 (एक)	एम०बी०ए० उत्तीर्ण	न्यूनतम 01 वर्ष	800-00	- तदैव -
4	कनिष्ठ अभियन्ता विकास खण्डों हेतु	10 (दस)	1.आयु 30 वर्ष से अधिक न हो। 2.सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक।	—	600-00	-तदैव-
5.	ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायत स्तर पर (प्रति न्याय पंचायत एक पद)	22 (बाईस) वि०ख० नारसन में न्याय पंचायत:-नारसन कंला / मौहम्मदपुरजटट / ढंढेरा / गाधारोना हेतु 1-1 रिक्त पद वि०ख० बहादुराबाद में न्याय पंचायत:-बादशाहपुर / रणसुरा / बहादुराबाद / सलेमपुर / औरगांवा / फेरुपुर / जमालपुर कंला हेतु 1-1 पद वि०ख० भगवानपुर में न्याय पंचायत:-चुडियाला मोहनपुर / भगवानपुर / सिकन्दरपुर भैसवाल / नौकराग्रंट / डाडा जलालपुर / चौल्लीशहाबुददीन पुर हेतु 1-1 रिक्त पद वि०ख० लक्सर में न्याय पंचायत:-अकोढाकंला / निरंजनपुर / मुण्डाखेडा कंला / सुल्तानपुर / बहादुरपुर खादर में 1-1 रिक्त पद	1.वाणिज्य अथवा गणित में इण्टर अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2.ये व्यक्ति संबंधित न्याय पंचायत के स्थायी निवासी होने आवश्यक है।	—	300-00	-तदैव-

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक निर्देश एवं शर्तें, तथा आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद हरिद्वार की वेबसाईट haridwar.nic.in पर भी उपलब्ध है, एवं जिला विकास कार्यालय, विकास भवन, हरिद्वार में सम्बन्धित पट्टल पर अवलोकित की जा सकती है।

(पुष्पेन्द्र सिंह चौहान)
जिला विकास अधिकारी /
उप जिला कार्यक्रम समन्वयक
हरिद्वार।

उपरोक्त पदो हेतु शर्तें निम्नवत है:-

- 1- क्र०स० 4 पर अंकित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित जिला विकास कार्यालय, विकास भवन, रोशनाबाद स्थित मनरेगा प्रकोष्ठ में समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 30.4.2017 को सायं 5-0 बजे तक आवश्यक रूप से पंजीकृत डाक के द्वारा जमा किये जा सकते हैं। साक्षात्कार की सूचना बाद में दी जायेगी। अभ्यर्थी अपना मोबाईल नम्बर आवेदन पत्र पर अवश्य लिखें।
- 2- ग्राम रोजगार सेवक के लिए विज्ञापित न्याय पंचायत/विकास खण्ड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इस आशय का शपथ-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। बिना शपथ-पत्र के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 3- समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 30.4.2017 के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर कोई विचार किया जायेगा।
- 4- अभ्यर्थी का चयन निर्धारित अनिवार्य योग्यता के अंको एवं साक्षात्कार के अंको के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- 5- उक्त पद पूर्णतः अस्थाई है तथा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- 6- साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता व अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 7- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 8- चयन समिति द्वारा मस्टररोल आधार पर कार्य करने हेतु जिन अभ्यर्थियों/कार्मिकों का चयन किया जायेगा, उन अभ्यर्थियों को भविष्य में किसी भी समय हटाये जाने पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, घेराव आदि सरकार/अधिकारियों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- 9- कार्मिक को दैनिक मानदेय/मस्टररोल आधार पर सप्ताह के 06 कार्य दिवसों को आधार मानते हुए माह में अनुमन्य मानदेय/मस्टररोल की सीमा तक भुगतान किया जायेगा।
- 10- चयन हेतु अन्तिम अधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक-मनरेगा/जिलाधिकारी, हरिद्वार के पास सुरक्षित रहेगा।
- 11- विस्तृत जानकारी जिला विकास कार्यालय एवं मनरेगा प्रकोष्ठ के दूरभाष नम्बर -239001 एवं 239097 पर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदन का प्रारूप जिला विकास कार्यालय, हरिद्वार से प्राप्त किया जा सकता है, जो जनपद हरिद्वार की वेबसाईट haridwar.nic.in पर भी उपलब्ध है।



(एस०एम०मुरुगेशन)

जिलाधिकारी/ जिला कार्यक्रम
समन्वयक, मनरेगा,
हरिद्वार।

कार्यालय: महात्मा गंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, जनपद-हरिद्वार।

पत्रांक: 48 /मनरेगा-तै.पत्रा./2017-18

दिनांक: 17-अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि- महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञापित को दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेश में शासकीय दरों पर प्रकाशित कराते हुए, प्रमाणित बिल दो प्रतियों में जिला विकास कार्यालय, हरिद्वार में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



जिलाधिकारी/ जिला कार्यक्रम
समन्वयक, मनरेगा,
हरिद्वार।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद—
2. विज्ञापन संख्या एवं दिनांक—
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम—
4. जन्म तिथि—
5. राष्ट्रियता—
6. लिंग—

पासपोर्ट आकार का
नवीनतम स्वयं
सत्यापित रंगीन
फोटो चिपकाएं

7. पिता/पति का नाम—
8. पत्राचार का पता—.....
.....
9. स्थाई पता—
.....
(क) न्याय पंचायत का नाम.....
(ख) विकास खण्ड का नाम.....
(ग्राम रोजगार सेवक के पद हेतु क एवं ख का विवरण अंकित करना अनिवार्य है)
10. दूरभाष नम्बर—(1) मोबाईल— आवास—
ईमेल आईडी—
11. वर्ग (अनु०जाति/जनजाति/ओ०बी०सी०/सामान्य)—
12. शैक्षिक अर्हता:—(प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

अर्हता	विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	श्रेणी व अंको का प्रतिशत	मुख्य विषय

13. पिछली/वर्तमान नौकरी, यदि कोई हो, का ब्यौरा (कृपया कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें)

पूरे पते के साथ	धारित पद	अवधि		वेतनमान/प्राप्त वेतन	कार्य का स्वरूप
		कब से	कब तक		

14. अन्य कोई अनुभव एवं जानकारी:-

(प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सत्य तथा सही है। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाए कि मेरे द्वारा जानबूझकर तथ्य को छिपाया गया है या गलत रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है, तो मेरी अभ्यर्थिता पूरी तरह अस्वीकार कर दी जायेगी तथा मेरी नौकरी समाप्त कर दी जायेगी।

स्थान—

दिनांक—

अभ्यर्थी का नाम व हस्ताक्षर